फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

भग्गु उर्फ भगवान लाल कुमावत पिता गोमाजी कुमावत निवासी सेलागुडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द **–अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार, आमेट

– प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा– अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 03/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 22.02.2022 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट से प्राप्त नही होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट द्वारा जरिये क्रमांकः सू.अ. /2022/363–364 दिनांक 31.12.2021 से प्राप्त रिपोर्टानुसार राजस्व लिपिक द्वारा सम्पूर्ण रेकार्ड ढूढवाया गया। परन्तु प्रतिलिपि इस कार्यालय मे उपलब्ध नहीं होने पर इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व/21/333 दिनांक 01.12.2021 को कमेटी का गठन किया जाकर रेकार्ड रूम मे पत्रावली ढुंढवाई गई परन्तु पत्रावली नहीं मिली ततपश्चात प्रार्थी को अन्दर मयाद पत्रांक राज/21/340–41 दिनांक 17.12.2021 द्वारा सूचित किया गया । अतः प्रतिलिपि उपलब्ध कराने मे असमर्थ है भविष्य में उपलब्ध होने पर प्रार्थी को अवगत कर उपलब्ध करवा दी जायेगी इस संबध में प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है अतः नोटिस का जवाब स्वीकार करते हुए अपील निरस्त कराने की कृपा करावें। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चांही गयी वांछित सूचना के संबंध में आपके कार्यालय के रेकार्ड शाखा से 15 दिवस मे पत्रावली तलाश कर अपीलार्थी को चाही गयी वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। वांछित सूचना उपलब्ध नही कराने पर संबंधित कार्मिक के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करें। अतः उक्त अपील इसी स्टेज पर निर्णित की जाती हैं। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, आमेट को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** **लोक सूचना अपीलीय अधिकारी** **(जिला कलक्टर)राजसमन्द**	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)